FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

रामरतन बनाम भूमिधारी/महाधिकार

किस्म मुकदमा दावा नं. 86 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27.2.20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के स्वा० श्याम जी मैले ने अस्वस्थ होने के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका, वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 12.3.20 को पेश हो। [signature]
12.03.2020	दिनांक 03.03.2020 को इकजाई पेशी दिये जाने पर पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण में प्रतिवादीगण नं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एंव साक्ष्य वादी में रामरतन के शपथ पत्र पेश हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण बाबत दुरुस्ती रिकार्ड से सम्बन्धित है जिसमें ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 138, 438, 439, 440, 441, 442/1906 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0400 हैक्टर व ग्राम मोदयाड़ी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 818, 819, 820, 824, 825, 827, 835, 836 कुल किता 8 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर के 1/20 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज हैं। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रुयोबक्स पुत्र मोहन अंकित है।

रामरतन vs भूमिधारी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज 35/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू है। उक्त भूमिया वादी की पैतृक भूमिया है। जिसका सही एंव वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू जाति यादव निवासी मादयाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात् भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि मे भी वादी का सही एंव वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू सही दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड की जमाबंदियों में वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरू गलत अंकित हो गया है। जो कि कतई गलत है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामरतन पुत्र मोहरू है। वादी को घर पर बचपन में श्योबक्स के नाम से पुकारने के कारण व वादी के पिता व दादा की मृत्यु हो जाने से मृत्यु के विरासत के खाते में परिवार का बोलता नाम श्योबक्स लिख दिया गया। उस समय वादी नाबालिग था। वादी का नाम गलत दर्ज हो जाने से राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गए। वकील वादी ने वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरू के स्थान पर रामरतन यादव पुत्र मोहरू घोषित कर दुरूस्त करवाने का निवेदन अंतिम बहस में किया है।

हमने वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 –दो, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट, वादी रामरतन स्वंय का शपथ पत्र व वादी गवाह गें रूपसिंह, रामदयाल के शपथपत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में मोहरूराम, पुत्र महादेव का विरासत के नामान्तकरण से वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरूराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है। पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर ने भी मौका जॉच रिपोर्ट में श्योबक्स पुत्र मोहरूराम एंव रामरतन पुत्र मोहरू को एक ही

Scanned with CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

.... रामरतन .... बनाम ... भूमिधारी

किस्म मुकदमा ...... दावा .... नं. ... 88/2019 ... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	व्यक्ति होना वर्णित किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में पेश शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह में पेश शपथ पत्रों में भी श्योबक्स पुत्र मोहरूराम एंव रामरतन पुत्र मोहरू को एक ही व्यक्ति होना वर्णित किया है वही तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 23/भू.अ./2020 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान् में वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरूराम के स्थान पर रामरतन पुत्र मोहरू दर्ज कराने की रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर वादी श्योबक्स पुत्र मोहरूराम के स्थान पर रामरतन पुत्र मोहरू दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।
	"आदेश"
	अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम पण्ड्रस्या पटवार हल्का हथौरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 138, 438, 439, 440, 441, 442/1906 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0400 हैक्टर व ग्राम भोदवाड़ी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 818, 819, 820, 824, 825, 827, 835, 836 कुल किता 8 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर के 1/20 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम श्योबक्स पुत्र मोहरूराम के स्थान पर रामरतन पुत्र मोहरूराम घोषित किया जाता है एंव श्योबक्स पुत्र मोहरूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया किया

रामरतन v/s भूमि धारी

8/2019

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा

जाकर रामरतन पुत्र मोहरूराम अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की ज़ावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

12/03/2020

(ललित मीना)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/03/2020

(ललित मीना)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned with CamScanner